

118

पत्र

जिला बेटिक शिक्षा अधिकारी
मुंनगर

सेवा में

प्रबन्धक

श्री ० अजय सिंह प्रैम
पब्लिक सुल कॉलेज

पत्रांक: जितोसो 18271-20 / 2001-2002 दिनांक: 21-02-02

बंदर: पाइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

होदय,

राजाजी सं०/ 984/15-6-90-10/सं० 78/89 दिनांक 28
अप्रैल 90 एवं सचिव, उत्तर प्रदेश, बेटिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के
अस०/ बे० जितोसो/ सं० 5/78-43/99-2000 दिनांक 16-4-99 में
लेख प्रविधानों के अन्तर्गत आपके आवेदन पत्र पर जिला मान्यता
मार्फत मुंनगर की बैठक दिनांक 18-5-2001 में लिये गये निर्णयानुसार
नीचे है कि आपके विद्यालय की जोबाई 2000 से अस्थाई
मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक
सम्बन्धित रख लिये जाये और अध्यापकों को निर्धारित वेतनकम
दिया जाये।
- अध्यापकों को वेतन का मुंनगान बैंक में खुले खाते के माध्यम से किया
जाये।
- वेतन 1500-00 रु. तक इन्टर पाँच सौ मात्र विद्यालय प्रबन्धक के पद
जमा हो तथा जिला बेटिक शिक्षा अधिकारी, मुंनगर के पदनाम तथा
समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथा समय कराते रहे।
- विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जाये।
- विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम ही लागू रखा जाये।
- निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
- यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा इवेंट गार्तों की पूर्ति नहीं की
जाये तो आपके विद्यालय की पाइमरी स्तर की अस्थाई मान्यता उसी समय समाप्त
कर दी जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व एक मात्र आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

जिला बेटिक शिक्षा अधिकारी
मुंनगर

जितोसो

2001-2002 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनायें एवं आवश्यक का

- मुंनगर
- उप-बेटिक शिक्षा अधिकारी, मुंनगर।
- सहायक शिक्षा अधिकारी
- नगर शिक्षा अधिकारी

[Signature]

जिला बेटिक शिक्षा अधि
मुंनगर।

[Signature]

W'sya
Bhoran Kalar

Bhoran Kalar